APP-A
Crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम बाड़मेर

जेती देवी व अन्य बनाम भगाराम उर्फ भैराराम व अन्य

किस्म मुकदमा राजस्व अपील धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 05 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2020	अपीलांट के वकील श्री राऊराम चौधरी उपस्थित। अपीलांट की ओर से यह राजस्व अपील धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत तहसीलदार बायतु के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष पेश की है। अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने बाबत् स्थगन आदेश जारी करने का भी निवेदन किया। प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पर सुनवाई हेतु अधिवक्ता अपीलांट को अवसर प्रदान किया गया। आज अपील के श्रवणार्थ ग्रहण एवं मयाद के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान ही अधिवक्ता अपीलांट द्वारा "Not press plead" करते हुए अपीलांट्स की ओर से अपील में किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं चलानें का निर्देश प्रकट किया गया। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील एडमिशन स्टेज पर ही जरिये "Not press plead" खारिज की जाती हैं। पत्रावली पंजीबद्ध होकर निर्णय शुमार हों एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों। अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	